यह तथ्य-पत्र सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह कानूनी दस्तावेज़ नहीं है। कानून की व्याख्या व लागू किये जाने के उद्देश्य के लिये कृपया *इम्प्लॉयमैंट स्टैंडर्ड्ज़ एक्ट* एंड *रैग्युलेशन* का हवाला लें।

July 2016

कृषि मजदूर ठेकेदार

एक कृषि मजदूर ठेकेदार उत्पादकों को कृषि उत्पादनों के बोने, जोतने या काटने के सम्बंध में मजदूर उपलब्ध करवाता है। यद्यपि कार्यकर्त्ता कई खेतों में काम करते हों जिन खेतों के मालिक विभिन्न उत्पादक हो सकते हैं, लेकिन वे कृषि मजदूर ठेकेदार के कर्मचारी हैं।

वन वर्धन या स्प्रे करना या वृक्षों की छंटाई का काम करने वालों को छोड़कर कृषि मजदूर ठेकेदारों के पास इम्प्लॉयमैंट स्टैंडर्डज़ एक्ट के तहत इस काम का लाइसैंस अवश्य होना चाहिये। कृषि मजदूर ठेकेदारों की तरह उत्पादकों के पास लाइसैंस का होना अपेक्षित नहीं है यदि उत्पादक केवल अपनी भूमि पर फसल काटने के लिये लोगों को काम पर रखते हैं।

लाइसैंस की अपेक्षायें

कृषि मजदूर ठेकेदार के प्रार्थी को लाइसैंस के लिये एक्ट एंड रैग्युलेशन पर एक लिखित टैस्ट अवश्य पास करना होगा तथा प्रति कर्मचारी सुरक्षा राशि, बौंड के रूप में 80 घंटे का वेतन जोकि कमसेकम मजदूरी भरनी होगी।

यदि कृषि मजदूर ठेकेदार ने नीचे दी गई धाराओं में स्थापित कानून की "मूलभूत अपेक्षा" की अवहेलना नहीं की है तो बौंड की राशि कम कर दी जायेगी:

- धारा 13(1) - कृषि मजदूर ठेकेदार के पास लाइसैंस अवश्य होना चाहिये;
- धारा 17(1) – वेतन के दिन;
- धारा 28 – आय भुगतान का लेखा;
- धारा 58 –अवकाश का वेतन; तथा
- धारा 15 व 18 (1) – कमसेकम वेतन।

यदि कृषि मजदूर ठेकेदार मूलभूत अपेक्षाओं की अवहेलना नहीं करता है तो बौंड की राशि प्रतिवर्ष कम होती जायेगी। राशि कम होने की दर इस प्रकार है:

अवहेलना न करने की अवधि	गुणक अंक
1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष से कम तक	60
2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष से कम तक	40
3 वर्ष या अधिक	20

यदि कृषि मजदूर ठेकेदार ने पीछे कभी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, तीन सालों के लिये लाइसैंस जारी हो सकता है। अन्यथा लाइसैंस प्रति वर्ष नवीकृत करना होगा।

बिना लाइसैंस के ठेकेदार

उत्पादक के लिये केवल लाइसैंस प्राप्त कृषि मजदूर ठेकेदारों का ही उपयोग करना अपेक्षित है। जो उत्पादक बिना लाइसैंस के कृषि मजदूर ठेकेदार का प्रयोग करता है वह $500 से $10,000 तक के दंड का पात्र है।

जो उत्पादक बिना लाइसैंस के कृषि मजदूर ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कृषि कार्यकर्त्ताओं का उपयोग करता है वह कानून के उद्देश्य से कृषि कार्यकर्त्ताओं का नियोक्ता समझा जाता है तथा न किये गये वेतन के भुगतान के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

शेष अगले पृष्ठ पर...

अधिक जानकारी के लिये:
फ़ोन: 1 833 236-3700
Website: www.gov.bc.ca/EmploymentStandards

Employment Standards Branch

कृषि मजदूर ठेकेदारों के कर्त्तव्यः

कृषि मजदूर ठेकेदार को निम्नलिखित सभी कर्त्तव्य निभाने होंगे:

- कृषि मजदूर ठेकेदार को लाइसैंस हर समय साथ रखना होगा जिस समय वह लाइसैंस संबन्धी कार्य कर रहा हो;
- कर्मचारियों को लाने व लेजाने वाले सभी वाहनों में लाइसैंस की एक प्रतिलिपि प्रदर्शित करनी होगी;
- कृषि मजदूर ठेकेदार जिन व्यक्तियों के साथ एक कृषि मजदूर ठेकेदार के रूप में काम करना चाहता है उन सभी को अपना लाइसैंस पहले से ही दिखाना होगा;
- कृषि मजदूर ठेकेदार के व्यवसाय या घरेलू पते में परिवर्तन आने पर तत्काल ही डायरैक्टर को सूचित करना होगा;
- कर्मचारियों को लाने व लेजाने वाले सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा लाइसैंस नम्बर की नवीनतम सूची डायरैक्टर को प्रदान करनी होगी;
- निश्चित करें कि कर्मचारियों को लाने व लेजाने वाले प्रत्येक वाहन पर इंस्पैक्शन का असमाप्त प्रमाणपत्र चिपका हो, तथा इसकी एक प्रतिलिपि डायरैक्टर को भी प्रदान की जाये;
- निश्चित करें कि जो व्यक्ति कर्मचारियों को लाने व लेजाने वाले वाहन को चला रहा है प्रति उस व्यक्ति के पास उस वाहन को चलाने के वर्ग का लाइसैंस हो जो वाहन वह चला रहा है;
- कर्मचारियों को लाने व लेजाने वाले प्रत्येक वाहन में, वाहन व यात्रियों की सुरक्षा का सम्मान करते हुये, जिसमें चालक भी शामिल है, बैठने व बैठने की पेटी से स्बन्धित अपेक्षाओं के बारे में डायरैक्टर द्वारा प्रदत्त नोटिस लगायें।

रिकार्ड रखना

कृषि मजदूर ठेकेदार को काम के प्रत्येक कार्यस्थल पर एक दैनिक अभिलेख अवश्य रखना होगा जोकि डायरैक्टर के द्वारा जाँच के लिये उपलब्ध रहेगा। इसमें निम्न जानकारी अवश्य होनी चाहियेः

- उत्पादक का नाम व कार्यस्थल की स्थिति जहाँ श्रमिकों को भेजा जाता है तथा उन श्रमिकों के नाम
- जो वहाँ पर उस दिन काम कर रहे हैं
- प्रत्येक श्रमिक का नाम व किये गये काम के दिन या तिथियाँ;
- प्रत्येक श्रमिक का कार्यस्थल जहाँ वह प्रतिदिन काम करता है;
- प्रति श्रमिक द्वारा प्रतिदिन किस फल, सब्जी, बेरी या फूल की फसल काटी गई है; तथा
- प्रति श्रमिक द्वारा काटी गई फसल का परिमाण या वज़न।

सभी रिकार्ड अंग्रेज़ी में रखे जाने चाहिये। नौकरी की समाप्ति के दो वर्ष बाद तक नियोक्ता को ये रिकार्ड अवश्य रखने होंगे।

यात्रा वेतन

जहाँ कृषि मजदूर ठेकेदार एक कृषि मजदूर को कार्यस्थल पर लेकर जाता है और फिर वह उसे कोई काम नहीं देता तो, कृषि मजदूर ठेकेदार उस कर्मचारी को [निम्न से] जो **अधिक** है वह वेतन के रूप में देगाः

- घंटे के हिसाब से दी जाने वाली कमसेकम मजदूरी के अनुसार 2 घंटे की मजदूरी; या
- प्रस्थान स्थान से लेकर वापस उसी स्थान पर आने तक का समय जो यात्रा में लगा, या किसी अन्य स्थान तक जोकि बहुत दूर नहीं है तथा कर्मचारी को स्वीकार्य है।

यदि प्रतिकूल मौसम या अन्य किसी कारण से जो कृषि मजदूर ठेकेदार के नियन्त्रण से बाहर है, काम ही उपलब्ध नहीं है तो ये अपेक्षायें लागू नहीं होतीं।

मजदूरी की प्रदर्शित दर तथा देय मजदूरी

कृषि मजदूर ठेकेदार को सभी कार्यस्थलों पर तथा कर्मचारियों को लाने व लेजाने वाले सभी वाहनों पर, कृषि मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी, विशिष्टरूप से प्रदर्शित करनी चाहिये।

शेष अगले पृष्ठ पर...

कृषि मजदूर ठेकेदार को कर्मचारी की मजदूरी सीधे उसके बैंक में अवश्य जमा करवानी चाहिये।

नौकरी देने के लिये कोई शुल्क नहीं

कृषि मजदूर ठेकेदार को कर्मचारी को नौकरी देने या उसके लिये नौकरी हासिल करने के लिये उस व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लेना चाहिये।

वाहन सुरक्षा

कृषि कर्मचारियों को लाने व लेजाने वाले सभी वाहनों की *मोटर वहिकल एक्ट* तथा भाग 39 – रोड सेफ्टी ऑव द मोटर वहिकल एक्ट रैग्युलेशंज़ की अपेक्षाओं के अनुरूप संभाल होनी चाहिये।

यदि कृषि मजदूर ठेकेदार कर्मचारियों के यातायात के लिये जिस वाहन का प्रयोग कर रहा है उसे निकाल दिया गया है, तथा प्रांत ने विकल्प यातायात का प्रबंध किया है, तो कृषि मजदूर ठेकेदार डायरैक्टर को $500 की प्रशासकीय फ़ीस अवश्य भरेगा।

लाइसैंस का स्थगन या रद्द होना

कृषि मजदूर ठेकेदार का लाइसैंस स्थगित या रद्द हो सकता है यदि कृषि मजदूर ठेकेदारः

- लाइसैंस के आवेदन पत्र में कोई झूठी या गुमराह करने वाली बात लिखे;
- लाइसैंस की किसी शर्त को तोड़े;
- कानून या नियमन की अवहेलना करे;
- *मोटर वहिकल एक्ट* के अनुरूप व्यवस्था करने में असफल रहे;
- कर्मचारियों को लाने व लेजाने के लिये जिस वाहन का प्रयोग हो रहा है उसको मरम्मत के लिये सड़क से हटाने का आदेश हो; या
- वर्कर्ज़ कॉम्पनसेशन एक्ट या औक्युपेशनल हैल्थ एंड सेफ्टी रैग्युलेशन के पालन में असफल रहा हो।

कृषि अनुपालन दल

कानून के अन्तर्गत अनुपालन दल को यह अधिकार है कि जहाँ काम हो रहा है वह उन खेतों में प्रवेश कर सकती है। व्यवसाय की सामान्य कार्य विधि को देखने के लिये यह भेंट अघोषित होती है। यदि कृषि मजदूर ठेकेदार तथा उत्पादक उपस्थित हुये तो दल के सदस्य उनसे बात करेंगे, कर्मचारियों से भेंट करेंगे तथा रिकार्डों का निरीक्षण करेंगे।

जो उत्पादक तथा कृषि मजदूर ठेकेदार अनुपालन दल के सदस्यों को प्रवेश देने से इंकार करते हैं उन्हें $500 से लेकर $10,000 तक का जुर्माना हो सकता है।

इस तथ्य पत्र में जहाँ कहीं भी “डायरैक्टर” का हवाला दिया गया है वह डायरैक्टर ऑव इम्प्लॉयमैंट स्टैंडर्डज़ के संदर्भ से है। अनुपालन दल के सदस्य डायरैक्टर के कर्त्तव्यों, शक्तियों तथा कार्यों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं जैसेकि कानून के तहत निर्देशित हैं।

अधिक जानकारी के लिये, हमारी वैबसाइट पर “एग्रीकल्चर” लिंक देखें या एग्रीकल्चर हॉट लाइन (604) 513-4604 पर सम्पर्क करें।